न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, डीडवाना–कुचामन
पीठासीन अधिकारी–श्री पुखराज सैन, आई.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या– 49/2024
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर 2024/148

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
रामलाल जाट, प्रवर्तन निरीक्षक (अभियोजन), जिला रसद अधिकारी, डीडवाना–कुचमान।		श्री सुवालाल पुत्र श्री भीवांराम जाति माली निवासी डीडवाना–शहर मैसर्स शुभम पेलेस लाडनू रोड डीडवाना

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6 ए. सपठित द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 में जब्तसुदा सामग्री के निस्तारण बाबत्।

उपस्थितः–
1. प्रवर्तन निरीक्षक प्रार्थी की ओर से
2. श्री महेन्द्र खिलेरी अधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से

–:आदेशः– दिनांकः 04.11.2024

प्रवर्तन निरीक्षक, जिला रसद अधिकारी डीडवाना द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध धारा 6 ए, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार से प्रस्तुत हैः–

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के पत्रांक एफ. 65 (1) खावि/एलपीजी/2024 दिनांक 10.09.2024 की पालना में घरेलू गैस के अवैध भण्डारण/व्यापार दुरूपयोग के विरूद्व अभियान के तहत दिनांक 21.09.2024 को श्री विरेन्द्र सिहं जाखड जिला रसद अधिकारी, डीडवाना–कुचामन के नेतृत्व में सुश्री मनीषा गुर्जर प्रवर्तन निरीक्षक व श्री ओमेन्द्र कुमार प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा लाडनू रोड डीडवाना स्थित मैसर्स शुभम पैलेस होटल पर आकस्मिक जांच की कार्यवाही की। मौके पर श्री सुवालाल माली पुत्र श्री भीवांराम माली निवासी डीडवाना उपस्थित मिलें, जिन्होनें दुकान का निरीक्षण करवाया। मौके पर दुकान में 03 धरेलू रसोई गैस सिलेण्डर व्यवसायिक दुरूपयोग/भण्डारण किये हुए पाये गये। श्री सुवालाल से घरेलू गैस के भणडारण एवं विक्रय से सम्बन्धित किसी प्रकार के दस्तावेज व अनुज्ञापत्र के बारे में पूछताछ करने पर इसके पास घरेलू गैस के भण्डारण से सम्बन्धित किसी प्रकार का आवश्यक दस्तावेज व अनुज्ञापत्र नहीं होना अपने बयानों में स्वीकार किया। श्री प्रतापसिहं द्वारा किसी प्रकार के आवश्यक दस्तावेज व अनुज्ञापत्र प्रस्तुत नही करने पर भण्डारित/दुरूपयोग किये गये 03 घरेलू रसोई गैस सिलेण्डर मय गैस को अवैध मानते हुए मौके पर जब्त सरकार किया गया। जब्त किये गये सिलेण्डरों का विवरण निम्नानुसार हैः–

Signature Not Verified
Digitally signed by Pukhraj Sen
Date: 2024.12.04 15:24:23 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
डीडवाना–कुचामन

क्र.सं.	नाम कम्पनी	एस.आर.नं.	गैस वजन
1.	एचपीसी	902240–S	0
2.	एचपीसी	465024–T	0
3.	एचपीसी	769454– S	10.8 किग्रा

उपरोक्त 03 घरेलू रसोई गैस को मय गैस मौके पर जब्त सरकार कर मैसर्स सूपका इण्डेन गैस सूपका के प्रतिनिधि श्री जिया गौरी की सुपुर्दगी में दिय गये।

इस प्रकार श्री सुवालाल का यह कृत्य लिक्वीफाइड पैट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) ऑर्डर, – 2000 के क्लॉज 3 (c), 7(1)(a),(b),(c) का स्पष्ट उल्लघंन हैं जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध हैं।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रकरण में जब्तसुदा 03 घरेलू रसोई गैस सिलेण्डर मय गैस को धारा 6 ए, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत, समपहरण (confiscaion) के आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी की तरफ से वकील श्री महेन्द्र खिलेरी ने वकालतनामा पेश किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। प्रवर्तन निरीक्षक ने अपनी बहस में निवेदन किया कि होटल संचालक श्री सुआलाल माली द्वारा घरेलु सिलेण्डरों का व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा था। घरेलु सिलेण्डर का उपयोग चाय, नाश्ता बनाने में उपयोग किया जा रहा था। श्री सुआलाल के पास जांच के समय किसी प्रकार के दस्तावेज नहीं पाए गए व सुआलाल ने आवश्यक दस्तावेज व अनुज्ञा पत्र नहीं होना स्वीकार किया। आवश्यक दस्तावेज व अनुज्ञा पत्र पेश नहीं करने पर 03 घरेलु गैस सिलेण्डर जब्त किये गये। जब्त किये गये सिलेण्डर को सुपका गैस एजेन्सी के प्रतिनिधि श्री जिया गौरी को प्रकरण में निर्णय होने तक सुरक्षित रखने हेतु सुपुर्द किये गये। अतः प्रकरण में जब्तसुदा घरेल गैस सिलेण्डर मय गैस को धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत समपहरण (Confisacation) के आदेश प्रदान करावें।

वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया किया कि अप्रार्थी एक गरीब व्यक्ति है तथा चाय बेचकर अपना गुजारा चला रहा है। अतः जब्त किये गये सिलेण्डर पुनः अप्रार्थी को दिलाया जावें।

बहस के तर्को पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया। फर्द मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर 03 घरेलु गैस सिलेण्डर पाए गए। जांच के समय सुआलाल के पास किसी भी प्रकार के दस्तावेज व अनुज्ञा पत्र नहीं होना स्वीकार किया। मौके पर घरेलु गैस सिलेण्डरों का उपयोग व्यापारिक उपयोग में किया जा रहा था। दस्तावेज व अनुज्ञा पत्र पेश नहीं किए जाने पर [illegible] सिलेण्डर को अवैध मानते हुए जप्त सरकार लिये गये। घरेलु गैस सिलेण्डर के भण्डारण एवं उपयोग के लिए वैध अनुज्ञप्ति होना आवश्यक है। [illegible] मौके पर अथवा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pukhraj Sen
Date: 2024.12.04 15:24:23 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर डीडवाना–कुचामन
सत्यमेव जयते

न्यायालय हाजा में ऐसी कोई अनुज्ञप्ति रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत नहीं की है। इस प्रकार प्रकरण में मौके पर की गई कार्यवाही सही प्रतीत होती है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 6ए, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 स्वीकार की जाती है। प्रकरण में 03 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस का समपहरण (Confisacation) किये जाने का आदेश दिया जाता है। प्रकरण में जब्तसुदा 03 घेरलू गैस सिलेण्डर मय गैस का नियमानुसार कीमतन निस्तारण किये जाने का आदेश दिया जाता है एवं निस्तारण से प्राप्त राशि को राजकीय राशि घोषित किया जाता है। जिला रसद अधिकारी, डीडवाना–कुचामन को निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावें।

निर्णय आज दिनांक 04.11.202424 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पुखराज सैन, IAS)
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
डीडवाना–कुचामन

Signature Not Verified

Digitally signed by Pukhraj Sen
Date: 2024.12.04 15:24:23 IST
Reason: SelfAttested